



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-08072026-274277
CG-RJ-E-08072026-274277

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3532]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 8, 2026/आषाढ 17, 1948

No. 3532]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 8, 2026/ASHADHA 17, 1948

रेल मंत्रालय

[उत्तर पश्चिम रेलवे (निर्माण)]

अधिसूचना

जयपुर, 7 जुलाई, 2026

का.आ. 3694(अ).— केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 2008 अधिनियम की धारा 2 के खंड (7 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लेखित उपखंड स्तम्भ (4) में उल्लेखित जिलों के सम्बन्ध में राजस्थान राज्य में विशेष रेल परियोजना, के सन्दर्भ में एनडब्ल्यूआर के रेवाड़ी-अलवर-बांदीकुई-जयपुर-अजमेर-फालना-पालनपुर, अजमेर-चित्तोड़गढ़-उदयपुर और रेवाड़ी-रींगस-फुलेरा खंडों के लिए इलेक्ट्रिक ट्रेक्शन सिस्टम को 1X25 केवी से 2X25 केवी ट्रेक्शन सिस्टम का उन्नयन कार्य के लिए भूमि अधिग्रहण के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए स्तम्भ (2) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे अधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम अधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

क्रम. सं.	सक्षम अधिकारी	उपखंड	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)
01	उपखण्ड अधिकारी	रींगस	सीकर

02	उपखण्ड अधिकारी	खण्डेला	सीकर
03	उपखण्ड अधिकारी	श्रीमाधोपुर	सीकर
04	उपखण्ड अधिकारी	नीम का थाना	सीकर
05	उपखंड अधिकारी	सांभर लेक	जयपुर

[फा. सं. उपरे /मुख्यालय /एस एण्ड सी /443599200 भाग-25]

विवेक सक्सेना, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Western Railway (Construction)]

NOTIFICATION

Jaipur, the 7th July, 2026

S.O. 3694(E).— In exercise of the powers conferred by clause (7A) of section 2 of the Railways (Amendment) Act-2008, the Central Government hereby authorized the officers nominated in column (2) of the Table below as “**Competent Authority**” to perform the function as such authority under the said act, with effect date of publication of this notification in the official Gazetted in respect of the special Railway project of **upgradation work of Electric traction System from 1X25 KV to 2X25 KV traction system for Rewari-Alwar-Bandikui-Jaipur-Falna-Palanpur,Ajmer-Chittorgarh-Udaipur& Rewari-Ringas-Phulera section of NWR** as a special Rail project of acquisition of land in the state of Rajasthan relating to sub-Divisions mentioned in column (3) District mentioned in column (4) of the said table for the public purpose of execution, maintenance, management and operation of such Special Railway Project.

S.N.	Competent Authority	Sub Division	District
(1)	(2)	(3)	(4)
01	Sub-Divisional Officer	Ringas	Sikar
02	Sub-Divisional Officer	Khandela	Sikar
03	Sub-Divisional Officer	Sri Madhopur	Sikar
04	Sub-Divisional Officer	Neem Ka Thana	Sikar
05	Sub-Divisional Officer	Sambhar Lake	Jaipur

[F. No. NWR/HQ/S&C/443599200 Vol. XXV]
VIVEK SAXENA, Chief Administrative Officer (Const.)